

फर्द अहकाम
 गौकुल नगीपण / मन्नेद्वेय के ऊपर
 बनाम

लय **हायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आवेर**
 मुख्यालय-जयपुर
 03/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05/3/25	<p>अज्ञातगीण 01 नं 08 की कोर्ट से उपस्थित प्रस्तुत नही की गई है। अतः अज्ञातगीण 01 नं 08 व विन्य. एवताप्या कार्रवाही व कोर्टे दिा जाते है। फगावली कोर्टे नलनी / फाति रिपोर्ट शि. नगीप अज्ञातगीण 09 नं 11 दिनांक 17/3/25 को पेश है।</p>	
17/3/25	<p align="center">हायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आवेर मुख्यालय-जयपुर</p> <p>फगावली पेशा डक। अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। अब रही रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 29/01/25 की बाबत अज्ञातगीण 09, 10, 11 व प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत हुए रिपोर्ट अनुसार नलनी स्वामिण है। एवताप्या की अधि पूरा है-युकी है। अज्ञातगीण 10, 11 को कोर्ट से उपस्थित प्रस्तुत नही की गई है। अतः अज्ञातगीण 10, 11 व विन्य. एवताप्या कार्रवाही व कोर्टे दिा जाते है। अधिवक्ता पार्टी की कहल ग-पा गी-अर्थ. पर सुनी गई। अधिवक्ता पार्टी की द्वारा अफना कल में वृद्धन किया गया है। अज्ञातगीण लका स्वयं की अनिलिकित स्वातेदापिता की मुक्ति की सीमाओं की सुटकारा बाद स्थाई निवेदारी का पेशा किया गया है जो ललिकत है। अज्ञातगीण प्रलिविगण की कोर्ट से बापतगीण अति शि. नगीप के माफालप एता व अतः उपस्थित प्रस्तुत नही की गई है। ना ही बाप फा व यापता ली. अर्थ. व तथ्यों का कोर्टे कोपन्याक। विनिपु (मान्य) एवतः प्रस्तुत किया गया है। जककि अज्ञातगीण शि. नगीप स्वयं की अनिलिकित</p>	<p align="right">P. T. O.</p>



फर्द अहकाम

जो कुतनामपण बनाम मशरूफ व उरुद

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
 केस संख्या 03/2025 मूख्यालय-जयपुर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/02/25	<p>आवेदनकर्ता की भूमि व कंपनी में अनुलोप वादा गया है कि वह वॉक रेंडर डोर प्रस्तुत नहीं की कलिया वाद कदुलला व नामांकित व प्रमाणित भी भूमि वादागत को संरक्षित रखा जाना आवश्यक है अतः प्राची का प्राधान्य ही- भावी- स्वकार नियंत्रण अपाधिकार को मूलवाद व निराकरण तक वाद अर्थात् भूमि का. सं. नं. 430, 432, 438, 439 कुल रूपाना मिला प कुल रकबा 1.24 ई. वरि मरक करमिया वी मरि वी पधारि मरि वरि रक्क बाबर दावद पधारि मरि वरि</p> <p>इसके प्राची अद्विपत्ता वी कदुल सुनी, लम्बो वरि मरि मरि। भूमि प्राची द्वारा स्वप की अतिरिक्त वरि मरि मरि की भूमि व कंपनी में अनुलोप वाद गया है कि वह वॉक रेंडर डोर की मरि वरि मरि मरि वरि उरु मरि कदुलला मरि का दाई सामुयल अपधारि रक्क डोर प्रस्तुत नहीं मरि मरि वरि मरि भूमि व कंपनी में मूलवाद विचारणीय है कि वह निराकरण तक भूमि वादागत की संरक्षित रखा जाना नामोचित मरि मरि वरि अतः वाद कदुलला व नामांकित व प्रमाणित प्राधान्य ही- भावी- स्वकार नियंत्रण पूर्व इस्लीम अमार्क मरि मरि वरि मरि दिनांक 13/01/25 को मरि मरि मरि स्थाई मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि मरि</p>

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
 मूख्यालय-जयपुर